

सहपिडिया-यूनेस्को योजना शोधवृत्ति- 2019

अनुबंध 1

शोधवृत्ति

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में दिलचस्पी रखने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा सुधि जनों के लिए सहपिडिया ने अपनी शोधवृत्ति योजना के तीसरे संस्करण की घोषणा की है। इस अवसर से आप अपने रुचिकर विषयों में शोध कर सकते हैं।

अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए 2003 में हुई बैठक में यूनेस्को (अब इसे यूनेस्को 2003 सम्मलेन के नाम से जाना जाता है) ने 'अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के महत्त्व पर बल देते हुए इन्हें सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रेरणा तथा सतत विकास का आधार माना'. स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इन अमूर्त धरोहरों के महत्त्व के लिए जागरूकता, इनके संरक्षण एवं सभी व्यक्तियों, समूहों व समुदायों के लिए इनकी सर्वसुलभता की दिशा में सहपिडिया-यूनेस्को शोधवृत्ति हमारी कोशिश का एक हिस्सा है।

सहपिडिया-यूनेस्को 2019 शोधवृत्ति, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित है।

इस उपक्रम के जरिये शोधार्थियों को विविध सांस्कृतिक ज्ञान एवं परिपाटियों पर शोध व दस्तावेज़ीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शोधार्थियों द्वारा किये गए शोध व दस्तावेज़ों को सहपिडिया वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।

भाषा

इस साल यह शोधवृत्ति अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल व मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है।

योग्यता

स्नातकोत्तर

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया के पहले चरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अपेक्षित हैं-

1. रिज्यूमे
2. 250 शब्दों के सार के साथ लगभग 1000 शब्दों में आपका प्रस्ताव. इस प्रस्ताव में आपकी कार्यप्रणाली, प्रदेय दस्तावेज़, शोध का दायरा, समयसीमा तथा विषय से सम्बंधित साहित्य/ शोध का जिक्र होना चाहिए. यह प्रस्ताव सहपिडिया के कार्यक्षेत्र के स्वभावानुकूल होना चाहिए.
3. 1500 शब्दों में अभ्यर्थी के द्वारा लिखा गया कोई आलेख अथवा शोध-पत्र या फिर 5-10 मिनट के किसी विडियो का यू. आर. एल लिंक जिस से अभ्यर्थी के फिल्ममेकिंग/ वीडियो कौशल (दस्तावेज़ीकरण) की जानकारी मिल सके, या फिर दोनों. यह आप के द्वारा अंकित प्रदेयों पर निर्भर करता है.
4. इस विषय से संबंधित साहित्य या शोध की ग्रंथसूची. 15 नामों से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है.

अवधि

इस शोध-कार्य की अवधि 1 सितम्बर, 2019 से ले कर 15 मार्च, 2020 तक है. इस समयसीमा के बीच शोध पूरा नहीं होने की स्थिति में शोधवृत्ति रद्द कर दी जायेगी. प्रक्रिया से जुड़ी समयसीमाओं के लिए अनुबंध 3 देखें.

वर्गीकरण

इस शोधवृत्ति को शोध, दस्तावेज़ीकरण अथवा संयुक्त रूप से दोनों कार्यों की श्रेणी में बांटा गया है.

अपने चयन के अनुसार अभ्यर्थी अपने प्रदेय चुन सकते हैं. विषय-वास्तु से जुड़ी जानकारी के लिए अनुबंध 4 देखें.

प्रदेय

हर शोधवृत्ति के लिए आप तीन प्रदेय चुन सकते हैं. निम्नलिखित चुनावों में से आवेदन के समय अभ्यर्थी कोई भी तीन प्रदेय चुन सकते हैं :

प्रदेय 1(इनमें से कोई एक)

1. सचित्र अवलोकन/ परिचयात्मक आलेख (3000 शब्दों एवं 5-10 छवि), अथवा
2. लघु वृत्तचित्र (इसकी अवधि 15-20 मिनट तथा अंग्रेजी उपशीर्षक/संवाद अनिवार्य है एवं 500 शब्दों में एक संक्षिप्त परिचय)

प्रदेय 2 (इनमें से कोई दो)

1. संबद्ध आलेख (1500 शब्द एवं 3-5 छवि)
2. छवि दीर्घा (शीर्षक के साथ 30-50 छवियाँ), या सचित्र आलेख (500-800 शब्दों में दृश्यों की व्याख्या करता एक लघु आलेख एवं शीर्षक के साथ 20 छवियाँ)
3. उक्त विषय से संबंधित किसी शोधकर्ता/ विद्वान्/ कलाकार के साथ लिखित साक्षात्कार (1500 शब्द, कम से कम 10 प्रश्नोत्तर)

इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं के चयनित अभ्यर्थियों को अपने शोध का अंग्रेजी अनुवाद देना होगा.

1. आलेख के साथ अनुवाद.
2. वृत्तचित्रों के साथ लिखित प्रतिलिपि व अंग्रेजी उपशीर्षक/संवाद)
3. लिखित साक्षात्कारों के साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद.

वित्त पोषण

चयनित अभ्यर्थियों को 44,445 रू की रकम दी जाएगी. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इस रकम पर स्रोत पर कटौती की जाएगी. इस कटौती के बाद 40,000 रू का भुगतान तीन खंडों में प्रदेशों के जमा किये जाने के उपरांत किया जाएगा. भुगतान की प्रक्रिया का जिक्र अनुबंध में किया जाएगा.

क्षेत्रीय भाषाओं के शोधार्थियों को अनुवाद के लिए 10,000 रू की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. इसके लिए उन्हें अनुवाद कार्य का बिल जमा करना होगा.